संख्या–वे0आ0–2– 799 / दस–2010–44(एस) / 2001 टी0सी0

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सचिव / प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 16 जुलाई, 2010

विषयः– प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढ़ाँचें के पुनर्गठन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (1997–99) / मुख्य सचिव समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर प्रदेश के राजकीय विभागों के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढ़ाँचें का पुनर्गठन एवं वर्तमान पदधारकों के पुनर्गठित ढ़ाँचें में समायोजन की व्यवस्था शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–433 / दस–2005–44 / 2001 टी0सी0 दिनांक 11 मई, 2006 एवं शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–624 / दस–2007–44 / 2001 टी0सी0 दिनांक 21 जून, 2007 द्वारा की गयी थी। उक्त निर्णयों का प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1244 / दस–2009–44 / 2001 टी0सी0 दिनांक 16 सितम्बर, 2009 एवं शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1597 / दस–2009–44 / 2001 टी0सी0 दिनांक 10 नवम्बर, 2009 निर्गत किये गये हैं।

2. ऐसे मामलों में जहाँ संवर्ग पुनर्गठन / सेवा शर्तों में संशोधन सहित उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराया जाना हो, वहाँ उच्चीकृत वेतनमान का लाभ शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिये जाने की सामान्य व्यवस्था है, परन्तु अलग–अलग विभागों द्वारा शासनादेश भिन्न–भिन्न तिथियों में निर्गत करने के फलस्वरूप सम्बन्धित पदधारकों को इसका लाभ अलग–अलग तिथियों से अनुमन्य होने की स्थिति के दृष्टिगत शासन के एक ही निर्णय से आच्छादित विभिन्न विभागों में विद्यमान सामान्य संवर्ग के पदों के वेतनमानों में संशोधन / उच्चीकरण का लाभ शासन द्वारा लिये गये निर्णय से सम्बन्धित विभागों को सूचित करने हेतु निर्गत पत्र की तिथि से अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त के क्रम में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 11 मई, 2006 एवं इस क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में वाहन चालक संवर्ग के पुनर्गठन एवं इसके फलस्वरूप उपलब्ध पदों पर वर्तमान पदधारकों के समायोजन का लाभ दिनांक 11 मई, 2006 से ही अनुमन्य कराया जाना है।

3. उपर्युक्त के सम्बन्ध में आपसे यह अनुरोध करने की मुझसे अपेक्षा की गयी है कि आपके अधीनस्थ विभागों में विद्यमान वाहन चालक संवर्ग के पदों का उपरोक्त व्यवस्थानुसार पुनर्गठन एवं इसके फलस्वरूप उपलब्ध पदों के सापेक्ष वर्तमान पदधारकों के समायोजन हेतु यथावश्यक आदेश / संशोधनादेश निर्गत करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान पदधारकों के एकमुश्त समायोजन हेतु शासनादेश दिनांक 18 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित ट्रेड टेस्ट की परीक्षा

को इग्नोर किया जायेगा। एकमुश्त समायोजन के उपरान्त संवर्ग के विभिन्न ग्रेड के रिक्त रह गये पदों को पदोन्नति की निर्धारित प्रकिया अपनाते हुए भरा जायेगा।

4. शासनादेश दिनांक 11 मई, 2006, दिनांक 21 जून, 2007, दिनांक 16 सितम्बर, 2009 एवं दिनांक 10 नवम्बर, 2009 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–799 (1)/दस–2010–44(एम)/2001 टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु यथावश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0 ए0पी0 29 सा0 वित्त–21.7.2010–(657)–2002 प्रतियां (कम्प्युटर/आफसेट)।